

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

नोबल देवी बनाम मुलक-५

2018/020000

किस्म मुकदमा :- ४४, 188 RTA, 136 LRA

प्रकरण संख्या 65 सन् :- 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.4.18	<p>अधिवक्ता वादी ने उक्त वादपत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 3.5.18 को पेश हो।</p>	
9.5.18	<p>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद याय आपके द्वार अभियान - 2018</p> <p>पत्रावली के माध्यम से नोबल देवी ने मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। उपखण्ड अधिकारी जज की पहल में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के माध्यम से नोबल देवी को नोबल देवी के राजीनामा के माध्यम से मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी जज की पहल में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के माध्यम से नोबल देवी को नोबल देवी के राजीनामा के माध्यम से मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी जज की पहल में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के माध्यम से नोबल देवी को नोबल देवी के राजीनामा के माध्यम से मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया।</p> <p>वादीगण ने उक्त वाद पत्र के माध्यम से नोबल देवी को नोबल देवी के राजीनामा के माध्यम से मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी जज की पहल में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के माध्यम से नोबल देवी को नोबल देवी के राजीनामा के माध्यम से मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया।</p> <p>नं. 44, 188 RTA, 136 LRA के माध्यम से नोबल देवी को नोबल देवी के राजीनामा के माध्यम से मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी जज की पहल में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के माध्यम से नोबल देवी को नोबल देवी के राजीनामा के माध्यम से मुकदमा नं. 44, 188 RTA, 136 LRA में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया।</p>	

6 अक्ष
श्रीराम

स
हुकम

वे संवत्स की विराज्य उत्पत्ति वत्स १५३
 के रूप में का दी गयी हो उत्पत्ती १ व ३
 ने राजीनामा जेरा किया है। उत्पत्ती व २
 उत्तरण में उधारित नहीं है कि-३ उत्पत्ती व २
 व १ के ३ एक ही परिवार के लक्षण हैं तथा
 विद्वान पत्र में वाप के लक्षणों की तुल्य होती है।
 अन्य विक्रम का ३ ने राजीनामा जेरा किया है।
 राजावत अमिले जो के भी वादीगण के लक्षण
 की तुल्य होती है कि-३ प्रकाशय उत्पत्ती
 व १ का हिल्सा ब्रैक में लीन करे है जो
 र.ए. प्रामि के बाद ही हिल्सा वादीगण अतीत
 के अधिकारी है।

उक्तानुसार गण निहारी के हाल खतरा न.३०८
 ५१३५ रकबा ०.३६ व ५१३५ रकबा ०.३६
 की आबादी ज. वादीगण का वाप "रानीवा"
 किया जाता है। त.३ इका ख. न. पर वादीगण की
 खानेवाह घोषित किया जाता है। ख. न. ५१३५
 पर प्रकाशय के हिल्से पर र.ए. प्रामि के बाद ही
 नामांतरण की कार्यवाही की जाये। त.३ इका ख. न.
 न.दीरख. उक्तानुसार राजावत र.३६ में शक
 ५२५६ की कार्यवाही करावे। प.३ का र.३६
 व.३ का इ.३ का शक की प.३ की जारी हो।
 प.३ का र.३६ का र.३६ का नाम के व.३६
 के दाखिल व.३६ है। —।

पाठासन अधिकारी
 लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

न्याय आपके द्वार 2018
कैम्प कोर्ट :- तिहारी
प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इक्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

नौरती देवी बनाम मूलचन्द

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 65/2018
पेश करने की दिनांक - 26.4.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई स्वयं व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम तिहारी की के हाल खसरा नम्बर 5134 रकबा 0.36 व 5135 रकबा 0.36 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त खसरा नम्बर पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 5134 पर मूलचन्द के हिस्से पर रहन मुक्ति के बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक  को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक अदा करे।

अदालत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 09 माह मई सन् 2018 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद